<u>महत्वपूर्ण सूचना</u>

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना

05, हार्डिंग रोड, नजदीक सप्तमूर्ति (शहीद स्मारक), पटना–800001

(वेबसाइट–www.csbc.bih.nic.in)

विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' पद पर चयन से संबंधित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु सूचना

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2022 में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' पद की 689 रिक्तियों के विरूद्ध विज्ञापन संख्या 02/2022 दिनांक 12.11.2022 को प्रकाशित किया गया था।

2. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 'मद्य निषेध सिपाही' के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 14.05.2023 (रविवार) को आयोजित की गयी थी । लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को अगले चरण ''शारीरिक दक्षता परीक्षा'' के लिए चयनित कर परीक्षाफल दिनांक 10.07.2023 को प्रकाशित किया गया है।

3. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) दिनांक 21 अगस्त 2023 से आयोजित की जायेगी । शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) हेतु प्रवेश–पत्र दिनांक–01.08.2023 से पर्षद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in के "Prohibition Dept." टैब पर उपलब्ध रहेगा । जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई–प्रवेश–पत्र Download नहीं कर सकेंगे, वे दिनांक 18.08.2023 को केन्द्रीय चयन पर्षद के बैक हार्डिंग रोड (सचिवालय हाल्ट के निकट), पटना– 800001 स्थित कार्यालय से पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक डुप्लिकेट प्रवेश–पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा।

4. चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश–पत्र पर दर्ज रहेगी ।

5. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जायेंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जाँच की जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा ।

6. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की तिथि पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश–पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण–पत्रों तथा उनकी एक सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे :

i. वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र (जैसे– आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि)।

ii. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र। दिनांक–01.01.2022 तक या इसके पूर्व की ही शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी।

iii. जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र (मैट्रिक सर्टिफिकेट की मूल प्रति)।

iv. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/ अविवाहित) के जाति प्रमाण–पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।

v. क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण–पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)। क्रीमीलेयर रहित (NCL) प्रमाण–पत्र, महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) के क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा।

vi. बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र (सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।

vii. बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी होने संबंधी प्रमाण–पत्र (बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–11687/सा0प्र0, दिनांक–30.08.2016 में विहित प्रपत्र के अनुसार) ।

viii. बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य होने संबंधी वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए मान्य प्रमाण–पत्र । बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक 26 फरवरी, 2019 (गजट संख्या 284) के द्वारा विहित प्रपत्र में ।

ix. विज्ञापन संख्या–02/2022 में उल्लेखित अन्य प्रमाण पत्र(यदि लागू है) भी लाएँ।

7. कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अनावश्यक रूप से अपने साथ किसी को नहीं लाएँगे, खाद्य पदार्थ एवं पेय जल साथ लाएँगे, एवं प्रशासन द्वारा इस संबंध में निर्गत सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे ।

8. सभी योग्य उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या–02/2022 में वर्णित सभी शर्तों / प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य होगा । अर्हता या अन्य किसी आधार पर किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

ह0/–

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

बिहार, पटना

ज्ञापांक 08/के0च0प0(सू0)

अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

05, हार्डिंग रोड, नजदीक सप्तमूर्ति (शहीद स्मारक), पटना–800001

दिनांक 28.07.2023

महत्त्वपूर्ण सूचना

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

श्री सांई तारा कॉम्पलेक्स, आई0ए0एस0 कॉलनी, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना 801503

(वेबसाईट–**www.csbc.bih.nic.in**)

विज्ञापन संख्या–03/2015(कारा कक्षपाल)

केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा बिहार राज्य में वर्ष 2015 में कक्षपाल पद की वर्तमान / बैकलॉग रिक्तियों (2649) से संबंधित विज्ञापन संख्या–03/2015 के क्रम में दिनांक– 18.09.2016 को लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी । लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल पर्षद की वेबसाईट– www.csbc.bih.nic.in पर उपलब्ध है ।

2. लिखित परीक्षा के आधार पर योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग (सत्यापन), शारीरिक माप, शारीरिक क्षमता जॉंच–माप परीक्षण (Physical Evaluation Test {PET}) में भाग लेना अनिवार्य होगा। जिसका आयोजन दिनांक–09 जनवरी,2017 से पटना में किया जायेगा ।

3. भूतपूर्व सैनिक तथा बिहार राज्य के गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध उम्मीदवारों की ''बिहार कक्षपाल संवर्ग नियमावली–2014'' के प्रावधान के अनुसार दौड़ आदि शारीरिक क्षमता जॉंच नहीं होगी किन्तु अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग जॉंच, ऊँचाई एवं सीना की माप तथा प्रमाण–पत्रों की जॉंच की जायेगी ।

4. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग / शारीरिक क्षमता जॉंच–माप हेतु प्रवेश–पत्र दिनांक–15/12/2016 से पर्षद की वेबसाईट www.csbc.bih.nic.in पर Download हेतु उपलब्ध रहेगा। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई–प्रवेश–पत्र Download नहीं कर सकें वे दिनांक–06 जनवरी, 2017 एवं 07 जनवरी, 2017 को केन्द्रीय चयन पर्षद के बैक हार्डिंग रोड (सचिवालय हॉल्ट के निकट), पटना–800001 स्थित कार्यालय से पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक अपना डुप्लिकेट प्रवेश–पत्र प्राप्त कर सकते हैं । स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा ।

5. चयनित अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग / शारीरिक माप/ शारीरिक क्षमता जॉंच–माप हेतु निर्धारित समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश–पत्र तथा पर्षद की वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

6. स्क्रीनिंग / शारीरिक माप/ शारीरिक क्षमता जॉंच–माप परीक्षण में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जायेंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा ।

अध्यक्ष,
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार,पटना ।